कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल

संख्या :   /सात–स॰भू॰अ॰/रा॰उ॰नि॰/2015   दिनाँक : 09 अक्टूबर, 2015

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग–1 की स्वीकृति के आधार पर जनपद नैनीताल में रिक्त एवम् वर्ष 2015 तक सम्भावित रिक्तियों की गणना करते हुये 35 अभ्यर्थियों का पटवारी तथा लेखपाल प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु चयन किया जाना है। चयन हेतु निर्धारित प्रारूप पर दिनाँक 10 नवम्बर, 2015 को अपराह्न 05:00 बजे तक निम्न अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र जिलाधिकारी कार्यालय, नैनीताल में जमा होंगे। आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क प्राप्त न होने, शैक्षिक योग्यता एवम् जाति के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने, घोषणा पर हस्ताक्षर न करने एवम् अपूर्ण आवेदन पत्र प्रेषित करने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र एवम् अभ्यर्थन निरस्त किया जायेगा। उक्त तिथि दिनाँक **10 नवम्बर, 2015 के अपराह्न 05:00 बजे** के पश्चात् प्राप्त तथा अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र जमा करने वाले लिफाफे के ऊपर **विज्ञापन संख्या तथा राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी या लेखपाल) पद के प्रशिक्षण के चयन हेतु आवेदन** अवश्य लिखा होना चाहिये।

1- अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।

2- पटवारी प्रशिक्षण में चयन हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनाँक 01–07–2015 को 21 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक न हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगी।

   लेखपाल प्रशिक्षण में चयन हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनाँक 01–07–2015 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगी।

3- अभ्यर्थी **केवल एक ही पद** (पटवारी अथवा लेखपाल) के लिये तथा **एक ही जनपद** में आवेदन कर सकेगा।

4- **शैक्षिक अर्हता** :– अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक अर्हता होनी आवश्यक है।

5- अभ्यर्थी का नाम प्रदेश के किसी भी जनपद के सेवायोजन कार्यालय में विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है अन्यथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा। (पंजीयन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना भी आवश्यक है)।

6- **शुल्क** :– आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु ₹ 150 एवम् सामान्य/अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु ₹ 300 के लिये बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर, जो जिलाधिकारी, नैनीताल के नाम देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है।

7- **शारीरिक मानक/दक्षता** :–

   (1) पटवारी–(अ) पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेमी0 व महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेमी0 अनिवार्य होगी। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेमी0 की छूट अनुमन्य होगी। पुरूष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेमी0, जिसमें न्यूनतम 5 सेमी0 का फुलाव अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेमी0 की छूट अनुमन्य होगी। छूट हेतु पर्वतीय मूल का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। महिला अभ्यर्थियों का वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए।

   (ब) पुरूष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा।

   (2) लेखपाल– लेखपाल पद हेतु पुरूष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा के लिए पात्र होंगे

8- **अधिमानी अर्हता** :– सीधी भर्ती के पदों पर जिन अभ्यर्थियों के संस्थान में विहित प्रशिक्षण हेतु चयन हुआ है, में अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती हेतु विहित प्रशिक्षण के लिए अधिमान दिया जायेगा, जिसने:–

   (क) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या

   (ख) नेशनल कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो।

9- **चरित्र** :– सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती से विहित प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा के लिए सर्वथा उपयुक्त हो।

10- **वैवाहिक स्थिति** :– पुरूष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

11- **शारीरिक योग्यता** :– किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसके अपने राजकीय कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में व्यवधान की सम्भावना हो। किसी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

12- अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर अभ्यर्थी द्वारा कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा।

13- निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा।

14- आवेदन पत्र के साथ सभी पुष्टिकारक शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवम् स्नातक के सत्यापित प्रमाण पत्र एवम् अंक तालिकायें एवम् निर्धारित प्रारूप पर जाति प्रमाण पत्र, सेवायोजन पंजीकरण प्रमाण पत्र, सेवायोजक द्वारा आवेदन पत्र यथास्थान अग्रसारित, अधिमानी अर्हता यदि कोई हो, तो उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।

15- जनपद की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है :–

पदनाम / कुल पद	अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति					अन्य पिछड़ा वर्ग					अनारक्षित				
	कुल पद	महिला	स्व॰सं॰से॰	भू॰पू॰सै॰	विकलांग	कुल पद	महिला	स्व॰सं॰से॰	भू॰पू॰सै॰	विकलांग	कुल पद	महिला	स्व॰सं॰से॰	भू॰पू॰सै॰	विकलांग	कुल पद	महिला	स्व॰सं॰से॰	भू॰पू॰सै॰	विकलांग
पटवारी–16	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	02	01	–	–	–	13	04	–	–	–
लेखपाल–19	05	02	–	–	–	01	–	–	–	–	02	01	–	–	–	11	03	–	–	–

जिलाधिकारी,
नैनीताल।